

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
कुड़ली क्रमांक 224	उपेन्द्र सिंह कुड़	262	3.98	विप्रेन्द्र सिंह कुड़	262	3.98
	जबबर सिंह कुड़	314	0.31	जबबर सिंह कुड़	314	0.31
	राजशर का. 58	316	1.20	राजशर का. 58	316	1.20
	झारसार	3	5.49	झारसार	3	5.49
	शेख खार वड्डर			शेख खार वड्डर		

क्रमांक: 64
22/10/20
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

क्रमांक
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का वजसर को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना